न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 67/2021
प्रार्थी :– हेमचन्द पुत्र श्यामलाल जाति ब्राहमण निवासी जैतिवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्यामलाल पुत्र जवरीलाल
2. पारसमल पुत्र श्यामलाल
3. पपुदेवी पुत्री श्यामलाल
4. रेखा पुत्री श्यामलाल सभी जातियान ब्राहमण निवासीगण जैतिवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 5 सरकारी पैरोकार।

:: **आदेश** :: **दिनांक** :– 11/11/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 4 सगे भाई बहन है तथा एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी सं. 1 श्यामलाल के जायन्दा पुत्र व पुत्री है। ग्राम जैतिवास में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 4 की विरासत में प्राप्त पैतृक कृषि भूमि खसरा नंबर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय व खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय स्थित है। जो उक्त खसरे की भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 से 4 के पिता प्रतिवादी सं.1 के खातेदारी की थी। उक्त खसरे की भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। पद सं. 3 में वर्णित वंशावली के अलावा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 4 के कोई वारिस या उत्तराधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 4 की पैतृक कृषि भूमि होने से प्रार्थी का उक्त पैतृक कृषि भूमि में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा बनता है। तथा 1/5, 1/5 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 से 4 का प्रत्येक का बनता है। मगर अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से प्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने षडयंत्र रच कर प्रार्थी को धोखा देने की नियत से व प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हडपने एवं प्रार्थी को अपने हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 ने प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 श्यामलाल से मिलीभगत करके एक मात्र वारिसान अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 का ही नाम से राजस्व रेकर्ड में भरवाने को उतारू है जबकि प्रार्थी अभी जीवित है तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 श्यामलाल का जायन्दा पुत्र है जिसको छुपा कर रखा एवं प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को अप्रार्थीगण सं. 1 व 4 ने चुपके चुपके अपने नाम करवाने को उतारू है जिसकी धमकी भी दे डाली है प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 से 4 ने अपने नाम करवा कर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द एंव बैचान करने की प्रार्थी को स्पष्ट धमकी दे डाली है तथ गलत म्यूटेशन के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

4 मिल कर प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को अन्य को बेचान करने पर उतारू है प्रार्थी अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपने पिता की जमीन में से अपना हक हिस्सा पाने की एक मात्र अधिकारी है। हाल ही में प्रार्थी अपने हक हिस्से की जमीन की जमाबंदी की नकल लोन लेने हेतु आवश्यकता हुई तब जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उसमें पाया गया कि जमाबंदी अप्रार्थी सं. 1 के नाम की बनी हुई है जिसके अभाव में प्रार्थी को लोन नही मिला तब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 से उसके 1/5 हिस्से की भूमि को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने हेतु कहा तथा अप्रार्थी सं. 5 को निवेदन भी किया मगर अप्रार्थी सं. 1 ने भी इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी सं. 5 ने भी प्रार्थी का खातेदारी के रूप में नाम दर्ज करने से स्पष्ट कर दिया। जिससे प्रार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित हो गया है। वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थी ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि को अपने नाम करवाने एवं अप्रार्थी सं. 1 से 4 का भी 1/5, 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड करवाने का बार बार कहा गया मगर अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी का 1/5 हिस्सा देने से इन्कार हो गये तथा प्रार्थी को एलानिया तौर पर धमकीया दी कि वे वादग्रस्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर देगे तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित कर देगे। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 श्यामलाल की जायज संतान होने पर अप्रार्थी सं. 5 को निवेदन किया एवं वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्से दर्ज करने का निवेदन किया मगर अप्रार्थी सं. 5 ने मना कर दिया वगैरा वगैरा का प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय में एक मूल वाद पेश किया है जिसमें प्रार्थीया को पूर्ण सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा अभी वादग्रस्त खसरे की भूमि को खुर्द बुर्द नहीं किया गया है तथा प्रार्थी जायज वारिस होने के कारण अपने 1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज है बावजूद प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 से 4 के द्वारा जबरन लाठियों के बल पर बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आका जा सकेगा। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि ग्राम जैतीवास में स्थित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 न तो स्वयं बेदखल करे व न ही अपने नौकर, मजदूर, एजेण्ट आदि के माध्यम से ही बेदखल करावे तथा अप्रार्थी सं. 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त खसरा की भूमि के रेकर्ड की मूलवाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखे रेकर्ड में कोई रद्धोबदल न तो स्वयं करे व न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों आदि के माध्यम से ही करावे। अन्य आज्ञा जो प्रार्थी के हक में हो जारी की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1 से 4 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर दिनांक 08.07.2024 को अप्रार्थी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से बाद सम्मन तामिल सरकारी पैरोकार उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 5 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम जैतीवास में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की विरासत में प्राप्त पैतृक कृषि भूमि खसरा नंबर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टयर व खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टयर स्थित है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। मगर अप्रार्थी सं. 2 से 4 प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हडपने एवं प्रार्थी को अपने हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से अप्रार्थी सं. 1 से मिलीभगत करके एक मात्र वारिसान अप्रार्थी सं. 1 से 4 का ही नाम से राजस्व रेकर्ड में भरवाने को उतारू है जबकि प्रार्थी अभी जीवित है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 श्यामलाल का जायन्दा पुत्र है। राजस्व ग्राम जैतीवास के खसरा नंबर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टयर व खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टयर श्यामलाल पुत्र जवरीलाल नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। धारा 212 राजस्थान टीनेसी एक्ट में प्रावधान है कि वादग्रस्त भूमि को नुकसान पहुचाने की नियत से खतरा हो तो ऐसी स्थिति में सम्पति की सुरक्षा हेतु अनुतोष के रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधिकार के संबंध में गंभीर एवं सद्भावी डिस्प्यूट मानते हुए दावे का निस्तारण तक आराजी को हस्तान्तरित नही करना चाहिए। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बनना पाया जाता है। वर्तमान में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 भूमि पर काबिज काश्त है, इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अगर विवादित भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर दिया जायेगा तो मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा, जिसकी अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को कारित हो जायेगी। अतः ऐसी स्थिति में दावे के निर्णय तक यथास्थिति कायम रखना आवश्यक है।

:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टयर व खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 11/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा